राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 91/019 आर सी एम सए नं0 2019/00085 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :–प्रार्थी

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र रामधन जाति मीना निवासी नौद तहसील टोडाभीम जिला करौली

2 पंचाव नेशनल बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली

– अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– 1 श्री शान्तिलाल करसोलिया वकील अप्रार्थी नं. 1
2 श्री रामभरोसी गुप्ता वकील अप्रार्थी नं. 2
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय **दिनांकः**–28.11.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 137/1827 रकवा 1.62 है0. ग्राम नॉद तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 53/2 रकवा 6 वीघा 8 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाली के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2027 से 30 यह भूमि रामजीलाल पुत्र रामधन जाति मीना के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 53/2 का नवीन खसरा नम्बर 137/1827 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी नं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8. 1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 137/1827 रकवा 1.62 है0 वाके ग्राम नॉद को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाली को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल बंदोवस्त सम्बत 2043 से 62 नकल जमाबंदी सम्बत 2027 से 30 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी संम्बंत 2072 से 2075 खतोनी बंदोबस्त सम्बंत 2008 से 2018 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 1 व 2 जरिये बकालान्तन उपस्थित आयो एवं पैरोकार सरकार उपस्थित है। अप्रार्थी नं. 1 ने अपने जवाव प्रार्थनापत्र में कहा गया कि साविक खसरा नं. 53 का कुल रकवा 14 विघा 18 विस्वा थी जिसमें 6 वीघा 8 विस्वा भूमि पर किसी प्रकार की कोई तलाई मौके पर नही है। अप्रार्थी को भूमि आवंटन होने से ही आज दिनांक तक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी 85 वर्ष की उम्र का है जिसका जरिया खेती ही है तथा खसरा नं. 53 के हाल खसरा नं. 137 रकवा 1.08 है0 भूमि पर वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है कभी–भी पानी नही भरता है बच्चो को किसी प्रकार की कोई परेसानी नही है मौके पर पक्का निर्माण बना हुआ है अप्रार्थी के बिरूद्व ग्राम बालो ने गलत रिपोर्ट कर गॉव से भगाना चाहते है। साविक आराजी में गैर मु. नाला का जिक्र किया गया है जिसकी किस्म बारानी 3 है ओर अप्रार्थी 40 वर्ष से भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज का निवेदन किया है।

अप्रार्थी नं. 2 ने अपने जवाव प्रार्थनापत्र मे कहा गया है कि खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर बैक से ऋण लेकर भूमि को रहन रखी गई है भूमि राजकीय सिवायचक घोषित कर दी गई तो बैक का काभी नुकसान होगा जब तक बैक का ऋण वसूल नही हो तब तक रेफरेन्स की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुर रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ने अपने बहस कथम मे जवाव प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए कथन कहा है कि साविक खसरा नं. 53 रकवा 14 वीघा था जिसमे से भूमि आवंटन हुई है मौके पर तलाई नही है 50 परिवार मकान बना कर बसे हुए है। सरकारी स्कूल भी इसी जमीन में आवंटन होकर संचालित है इसके खिलाफ कोई रेफरेन्स पेश नही किया गया है हमारे खिलाफ ही क्यो। मौका की रिपोर्ट ले सकते है अप्रार्थी भूमि हीन है सिविल कोर्ट मे दावा व टीआई विचाराधीन है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 2 ने अपनी बहस कथन में कहा कि जब तक खातेदार बैक का ऋण चूकता नही करता है तब तक भूमि को रहन में ही रखी जावे। नही तो बैक को भारी नुकशान होगा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि मिसल बंदोबस्त संबमत एवं जमाबंदी सम्बत 2008 से 2018 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 53 रकवा 14 वीघा 18 विस्वा भूमि गैरमुमकिन तलाई के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे नामान्तकरण संख्या 160 दिनांक 02.08. 1972 से जमाबंदी संबमत 2027 से 30 में अप्रार्थी रामजीलाल पुत्र रामधन को 6 वीघा 8 वीस्वा भूमि आवंटन हुई। हाल जमाबंदी सम्बत 2072 से 75 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। जहा पर वकील अप्रार्थी नं. 1 का अपने जवाव एवं बहस कथन में कहा गया कि मौके पर कोई तलाई नही है। 40 साल से कब्जा है किसी प्रकार का पानी का भराव नही होता है और मौके पर आबादी बनी हुई है तथा स्कूल भी बना हुआ है दौराने बहस अपने जवाव को सावित करने के लिऐ वकील अप्रार्थी नम्बर 1 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोडाभीम जिला करौली के मुकदमा उनवानी रामजीलाल बनाम प्रधानाध्यापक आदि मुकदमा नम्बर 14/016 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। जिसमे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6.2.2016 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136/1827 पर यथास्थिति का स्थगन है जो इससे सम्बंधित नही है। बहा पर यह है कि साविक राजस्व रिकॉर्ड में भूमि गैर मु. तलाई दर्ज थी भराव की भूमि पर किसी को आवंटन नही किया जा सकता है जो आवंटन पूर्व मे हुआ है बह अवैद्य है साथ ही अप्रार्थी नं. 2 का कथन है कि इस आराजी को अप्रार्थी द्वारा बैक के यहा पर गिरवी रख कर भूमि को रहन रखा गया है। बहा पर यह है कि इस आराजी के अलावा अप्रर्थी के नाम अन्य भूमि हो सकती है। उस आराजी से अपना ऋण चूकता कर सकते है। यहा पर यह है कि भूमि साविक रिकॉर्ड में गैर मु0 तलाई थी अप्रार्थी नं. 1 को गलत तरीके से भूमि का आवंटन हुई है ओर बाद में उसे बैक के यहा पर रहन रख दिया गया है। जो अवैद्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उपनियम 1 ता 14 मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गोचर, झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वतः ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 137/1827 रकवा 1.62 है0 ग्राम नॉद तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2008 से 2018 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:35:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: